तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाबूलाल बनाम ग्यारसीनाथ अपील संख्या 8/2022 (जीसीएमएस नं 2022/50)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.09.24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपील अपीलान्ट उपस्थित। उन्होने प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करने प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। ऐसी दशा में प्रार्थी अपीलान्ट उक्त अपील को अब आगे चलाना नही चाहता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी अपील विड्रा किऐ जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि भूमि का जो आवंटन अप्रार्थी नम्बर 1 को किया गया है, इस भूमि पर उज्रदार का कब्जा काफी पुराना अरसा लगभग 30 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी मौके पर उज्रदार का कब्जा है। उज्रदार प्रश्नगत भूमि पर काबिज काश्तकार है। उक्त आराजी को काबिल काश्त बनाने में काफी पैसा भी खर्च किया है परन्तु ग्यारसीनाथ ने पटवारी हल्का व आवंटन कमेटी के सदस्यों से साज करके चुपचाप से आराजी खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.81 हैक्टयर भूमि का दिनांक 30.06.1989 को आवंटन करा लिया जो खिलाफ कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य था। भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन सम्बन्धी उदघोषणा भी नही हुई इसलिये भी आवंटन नियम विरूद्व है। आवंटन के समय भूमि खाली नही थी, बल्कि भूमि पर उज्रदार का कब्जा था। कानूनन खाली भूमि का ही आवंटन हो सकता था। आवंटन की कार्यवाही मजमेआम में नही हुई। आवंटन कमेटी का कोरम भी पूर्ण नही था। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आज तक काश्त नही की गई जबकि आवंटन के पश्चात् प्रथम वर्ष में आधी तथा द्वितीय वर्ष में पूरी भूमि पर काश्त करना जरूरी था परन्तु आवंटी ने आज तक भूमि पर काश्त नही की, न ही उसका आवंटित भूमि पर कब्जा रहा है। आवंटी ग्यारसीनाथ भूमिहीन भी नही है जबकि उज्रदार अनुसूचित जाति का गरीब भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है। आवंटी द्वारा आवंटन फार्म भी विधिवत रूप से नही भरा गया है। ना ही हल्फिया तस्दीक की गई है। इसलिये अपूर्ण फार्म के आधार पर किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। पटवारी हल्का ने ग्यारसीनाथ का पूराना कब्जा होने की रिपोर्ट पेश नही की, ना ही उदघोषणा करने बाबत कोई रिपोर्ट की। आवंटी ग्यारसीनाथ आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नही की, जिसका प्रमाण यह है कि भूमि आज भी गैर खातेदारी में दर्ज है क्योंकि अप्रार्थी ग्यारसीनाथ ने कभी भी भूमि पर काश्त नही की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2021 में उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण तथा विवेचन उपलब्ध नही है, कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नही की गई है। कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नही ली गई है और यह भी स्पष्ट नही किया है कि विवादित आराजी में आज दिनांक तक आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त क्यों नही हुए है तथा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बाबूलाल बनाम ग्यारसीनाथ अपील संख्या 8/2022 (जीसीएमएस नं 2022/50)

विवादित आराजी अब तक गैर खातेदारी क्यों दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आंवटन संबंधी उदघोषण करने, प्राथमिकता सूची, आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के निर्धारण हेतु नियत मापदंडो की पालना नही की गई है, आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका (प्रारूप–4) में संधारित है या नही, से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने के पश्चात तामील/चस्पानगी के सम्बन्ध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न है या नहीं। आंवटन सलाहकार समिति की बैठक की सूचना की तामील कब हुई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली में तारीख का अंकन है या नहीं है, तामिल कुलिन्दा की रिपोर्ट अंकित है या नहीं, पटवारी हल्का की मौका जॉच रिपोर्ट संलग्न है या नहीं है, साथ ही आंवटन सलाहकार समिति की सिफारिश के समय सलाहकार समिति का कोरम पूर्ण था या नहीं, हाल एवं साबिक रिकार्ड पूर्ण नहीं है, आंवटी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जाति, निवास, उम्र का साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं है। आंवटी पूर्व में अतिक्रमी था या नहीं, भूमिहीन के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित है या नहीं? ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आंवटन सलाहकार समिति ने दिनांक 30.06.1989 को ग्राम महेश्वरा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 2515 रकबा 0.81 है0 भूमि का आंवटन अप्रार्थी नं. 01 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत उक्त आवंटन हेतु पात्रता सिद्ध होती हो या आवंटन नियमों हेतु निर्धारित प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुरूप आवंटन हुआ हो।

चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये गये आवंटन के सम्बन्ध में कई उज्रात किये गये है उसके उपरान्त वर्तमान में अपीलार्थी न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर विड्रो करना चाहते हैं किन्तु प्रकरण में राज्य हित निहित संभावित होने के कारण अपीलार्थी की अपील इस निर्देश के साथ खारिज की जाती है कि तहसीलदार दौसा प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच करें और यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया भूमि आंवटन राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अनुरूप नही हो तो उक्त आवंटन निरस्त कराने के लिये तहसीलदार दौसा द्वारा तत्काल सक्षम न्यायालय में 14 (4) के तहत कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें। निर्णय की प्रति पृथक से जिला कलक्टर दौसा को पर्यवेक्षणार्थ एवं तहसीलदार दौसा को पालनार्थ भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,